

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-827 / 2003

संस्थित दिनांक-15.04.1998

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सूपखार,  
 कान्हा नेशनल पार्क, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

- 1- प्यारेलाल वल्द डोंगरसिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम पौडी, थाना गढ़ी,  
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)
- 2- धीरन वल्द दुकालसिंह, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम बंधनखेरो, थाना बिरसा,  
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)
- 3- बौना उर्फ ब्रजलाल वल्द दुकालसिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम भारी, थाना बैहर,  
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-11 / 02 / 2015 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध धारा-27, 32/51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (जिसे आगे अधिनियम से संबोधित किया जाएगा) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-18.01.1998 वन कक्ष क्रमांक-188 सेहरा मैदान सूपखार, परिक्षेत्र कान्हा नेशनल पार्क में बिना अनुज्ञा के प्रवेश किया तथा सांभर और चीतल का शिकार करने के आशय से रासायनिक पदार्थ जहर की गोलियां पार्क में रखा।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरोपी प्यारेलाल जो कि वनग्राम अजानपुर का निवासी है, अपने दो सहयोगियों के साथ घटना दिनांक को सुबह कान्हा नेशनल पार्क के सूपखार परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-188 के सेहरा मैदान में घूम रहा था, तभी चकरवाह बीट का वनरक्षक गुलाबसिंह धुर्वे भी गश्ती पार्टी के साथ उक्त क्षेत्र में गश्त कर रहा था। वनरक्षक गुलाबसिंह धुर्वे ने प्यारेलाल व उसके दोनों सहयोगियों को उक्त कक्ष में घूमते देखकर उसे उन पर शक हुआ और उसने घेरा डालकर तीनों व्यक्तियों को पकड़ने दौड़ा। वनरक्षक गुलाबसिंह

तथा गश्ती दल के सदस्य प्यारेलाल को पकड़ने में सफल हो गए, किन्तु उसके दो सहयोगी जंगल में वृक्षों व झाड़ियों की ओर भागने में सफल हो गए। आरोपी प्यारेलाल को जब पकड़ा गया था तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी तथा बक्कल की डोरी थी। जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि वह अपने सहयोगियों के साथ सेहरा मैदान में तीन जगहों पर जहां से वन्य प्राणी चीतल वगैरह पानी पीने के लिए हालोन नदी पर आते हैं, उन रास्तों पर तीन जगहों पर तीन जहर की गोलियां तथा नदी से बरतन में पानी लाकर एवं नमक घोलकर डाल दिए थे। नमक का पानी घोलकर पानी डालने से जमीन की सतह खारी हो जाती है, जिससे चीतल वगैरह वन्य प्राणी मिट्टी को चाटते हैं और मिट्टी चाटते हुए जहर की गोली को नमक समझकर चाट लेते या खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आरोपी से घटनास्थल दिखाने के लिए कहा गया तो वह वहां उपस्थित सभी लोगों को लेकर घटनास्थल जहां उसने अपने सहयोगियों के साथ गोलियां रखी थी, दिखाया जिसे वनरक्षक गुलाबसिंह धुर्वे द्वारा आरोपी की निशानदेही पर तीनों जहर की गोलियां जप्त की। आरोपी प्यारेलाल से जब उसके साथियों का नाम पता पूछा गया तो उसने अपने एक साथी का नाम धीरन गोंड तथा दूसरे का नाम बौना होना बताया। जब आरोपी प्यारेलाल को पकड़ा गया था तो उस वक्त ये दोनों व्यक्ति भी सेहरा मैदान में घूम रहे थे और गश्तीदल के द्वारा पकड़ने दौड़ते समय घटनास्थल से फरार हो गए थे। आरोपी द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया, जिस पर वन परिक्षेत्र सूपखार द्वारा आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-1655/15, धारा-2 (35), 27, 29, 31, 32, 35(6), 35(8) 51 एवं 6 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्तशुदा सामान रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को 27, 32/51, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-18.01.1998 वन कक्ष क्रमांक-188 सेहरा मैदान सूपखार, परिक्षेत्र कान्हा नेशनल पार्क में बिना अनुज्ञा के प्रवेश किया तथा सांभर और चीतल का शिकार करने के आशय से रासायनिक पदार्थ जहर की गोलियां पार्क में रखा ?

#### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- साधूलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 18.01.98 को कान्हा नेशनल पार्क के सूपखार परिक्षेत्र के बीटगार्ड गुलाबसिंह,

वह फायर वाचक धीरज, इन्दलसिंह, मंगलसिंह, दीपक गश्ती करने गए हुए थे। वे लोग गश्ती करते हुए सिहरा मैदान में पहुंचे जिसका कक्ष क्रमांक-188 है। उन्हें सेहरा मैदान में तीन लोग घूमते हुए दिखाई दिए तो उन लोगो ने घेराव किया जिसमें उसे न्यायालय में उपस्थित आरोपी मिला और दो लोग मौके से भाग गए थे। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्यारेलाल पिता डोंगरसिंह ग्राम अजानपुर का रहने वाला बताया था। आरोपी के पास से एक कुल्हाड़ी, माहुल की एक रस्सी थी जो बांधने के काम आती है। आरोपी से उन लोगो ने पूछा कि मैदान में कैसे घूम रहे थे तो आरोपी ने बताया कि सांभर और चीतल मारने के लिए तीन जगह छापर पर जहर की गोली डाल रखी है। फिर आरोपी ने उन्हें उस स्थान पर लेकर गया, जहां छापर पर गोली डाल रखी थी। वनरक्षक गुलाबसिंह ने तीनों जगह छापर पर रखी हुई गोलीयां कुल तीन मौके पर जप्त कर पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से उसके साथ अन्य दो लोग कौन थे पूछने पर उसने उसके साथ धीरज और बौना का होना बताया था।

6— प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल सेहरा मैदान खुली मैदानी जगह है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जो गोलियां प्राप्त हुई थी वह खुली हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने खुले स्थान से कथित जहर की गोलियां जप्त किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में घटना के समय आरोपी प्यारेलाल को मौके पर कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी व रस्सी सहित पकड़े जाने और पूछताछ कर उसके बताए अनुसार मौके पर से जहर की गोलियां जप्त किये जाने का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

7— धीरज (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि जनवरी माह की 18 तारीख को वह गुलाबसिंह धुर्वे, मेश्राम वनरक्षक, इन्दलसिंह, दीपक, मंगल गश्ती करने गए थे। वे गश्ती करते हुए सिहरा मैदान में पहुंचे तो मैदान में उन्हें तीन आदमी दिखे। फिर उन लोगो ने घेरा डालकर हाजिर अदालत आरोपी प्यारेलाल को पकड़ा और बाकी दो लोग भाग गए। प्यारेलाल के हाथ में एक कुल्हाड़ी तथा माहुल की रस्सी थी। वनरक्षक गुलाब ने प्यारेलाल से पूछताछ किया तो प्यारेलाल ने बताया कि उन लोगो ने सांभर चीतल मारने के लिए सेहरा मैदान के छापर में जहर की गोली रखा है। आरोपी से कुल्हाड़ी व बक्कल की रस्सी जप्त किया तथा आरोपी को लेकर छापर गए, तो तीन जगह एक-एक गोली रखी हुई थी, जो आरोपी से उठवाया। फिर गुलाबसिंह धुर्वे ने जप्तीनामा, पंचनामा बनाया जो क्रमशः प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फिर आरोपी को लेकर डिप्टी साहब के पास सूपखार गए वहां पर रेंजर साहब भी थे। वहां पर कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी। उसके सामने प्यारेलाल से डिप्टी साहब ने कोई पूछताछ नहीं की थी। आरोपी ने अपने साथ दो अन्य लोगो के बारे में बताया था, जो धीरज और बौना थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में घटना के समय आरोपी प्यारेलाल को मौके पर कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी

व रस्सी सहित पकड़े जाने और पूछताछ कर उसके बताए अनुसार मौके पर से जहर की गोलियां जप्त किये जाने का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

8— इन्दल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना दिनांक 18 जनवरी 1998 की है। सूपखार का बीटगार्ड मेश्राम और चकरवाहा का बीट गार्ड गुलाबसिंह धुर्वे, धीरन, दीपक, मंगलसिंह और वह गश्ती करने जंगल में गए थे, उन्हें सिहरा मैदान में तीन व्यक्ति दिखे। जिनका घेराव करके पकड़ने पर हाजिर अदालत आरोपी प्यारेलाल को पकड़ लिया था, बाकि के दो लोग भाग गए थे। प्यारेलाल के पास एक माहूल का बकल तथा एक कुल्हाड़ी थी। बीट गार्ड ने प्यारेलाल से पूछा कि तुम यहां कैसे आए हो तो प्यारेलाल ने बताया कि चीतल सांभर मारने के लिए उन्होंने रखा है। फिर उसने आरोपी से पूछा की कहां-कहां जहर रखे हो तो उसने वह स्थान दिखाया और उसने आरोपी से ही गोलियां उठवाया। इसके उपरांत बीटगार्ड ने लिखा-पढ़ी कर जप्ती पंचनामा बनाया जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में घटना के समय आरोपी प्यारेलाल को मौके पर कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी व रस्सी सहित पकड़े जाने और पूछताछ कर उसके बताए अनुसार मौके पर से जहर की गोलियां जप्त किये जाने का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

9— परिक्षेत्र सहायक ए.जी. खान (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह वर्ष 1998 में परिक्षेत्र सहायक सूपखार के पद पर पदस्थ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 निरीक्षण करने के पश्चात् तैयार किया गया था तथा घटनास्थल क्रमांक-एक, दो, तीन बिन्दू के द्वारा अंकित किया गया। विवेचना के दौरान उसके द्वारा आरोपी प्यारेलाल के कथन दर्ज किये गए थे। आरोपी ने जहर की गोली छापर में डालकर अवैध शिकार करने की बात स्वीकार किया था। आरोपी के कथन प्रदर्श पी-3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षी गुलाबसिंह, धीरज, दीपक के कथन उनके बताए अनुसार ही दर्ज किये थे। उसने आरोपी धीरन तथा बौना के निवास स्थान ग्राम आजमपुर जाकर पता किया था, किन्तु वे अपने घर पर नहीं मिले। इस संबंध में फरारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 एवं 6, 7 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी प्यारेलाल के बयान को उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किये जाने की पुष्टि की है।

10— परिक्षेत्र अधिकारी एन.एस. कोरचे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि वह वर्ष 1998 में सूपखार में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा परिवादपत्र प्रदर्श पी-07 आरोपीगण प्यारेलाल, धीरज वगैरह के विरुद्ध पेश किया गया था। उनके विरुद्ध जहर की गोली कक्ष क्रमांक-188 सेहरा मैदान में डालकर वन प्राणी का अवैध शिकार करने के आरोप में प्रस्तुत किया गया।



वनरक्षक गुलाब सिंह धुर्वे से आरोपी प्यारेलाल से जहर से मारने की तीन गोली तथा एक रस्सी और कुल्हाड़ी भी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी-1 जप्ती के संबंध में वनरक्षक गुलाबसिंह धुर्वे के द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 डिप्टी ए.जी. खान के द्वारा तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी प्यारेलाल ने परिक्षेत्र सहायक ए.जी. खान के समक्ष जहर की गोली से वन्य प्राणी के शिकार करने की बात स्वीकार करने के कथन प्रदर्श पी-3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान डिप्टी रेंजर ए.जी. खान, वनरक्षक गुलाबसिंह, धीरज, दीपक के कथन उनके बताए अनुसार दर्ज किया था। फरारी पंचनामा प्रदर्श पी-5, 6 एवं 7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा जहर की गोली रसायनिक परीक्षण हेतु फिल्ड डायरेक्टर कान्हा डिवीजन मंडला को भेजा था, जो प्रदर्श पी-8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है कि साक्षी ने आरोपी प्यारेलाल के विरुद्ध उसके अधिनस्थ विभागीय कर्मचारी व अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करते हुए उनके कथन लेखबद्ध किये जाने की पुष्टि की है।

11— जप्ती अधिकारी गुलाबसिंह (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह वर्ष 1998 में चकरवाह केम्प में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-9 आरोपी प्यारेलाल के द्वारा जहर की गोली के द्वारा अवैध शिकार करने के संबंध में जारी किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी प्यारेलाल से कम्पार्टमेंट नंबर-188 सेहरा मैदान नामक स्थान से जहर की तीन गोल, एक कुल्हाड़ी माहूल की रस्सी जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह छापर में आरोपी प्यारेलाल द्वारा अलग-अलग स्थान पर गोली रखने के संबंध में किया गया था। वर्ष 1998 में सुबह 7 बजे वह गश्त में निकला था तो आरोपी प्यारेलाल, धीरज तथा बौना सेहरा मैदान, कम्पार्टमेंट नंबर-188 में दिखाई दिया था, तो उन लोगो ने सभी आरोपीगण को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु आरोपी प्यारेलाल मौके पर पकड़ा गया तथा शेष दो आरोपी वहां से भाग गए। आरोपी प्यारेलाल से कुल्हाड़ी तथा बकल मिला था। प्यारेलाल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि सांभर, चीतल मारने के लिए उन्होंने जहर की गोलियां छापर में डाले हैं। आरोपी प्यारेलाल ने छापर में डाली गई जहर की गोलियां निकालकर दी थी तथा उसने पंचनामा की कार्यवाही की थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी के रूप में आरोपी प्यारेलाल प्यारेलाल से मौके पर कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी व रस्सी सहित पकड़े जाने और पूछताछ कर उसके बताए अनुसार मौके पर से जहर की गोलियां जप्त किये जाने के तथ्य का समर्थन किया है।

12—

दीपक (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह

आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण से करीब 5-6 साल पहले सेहरा मैदान में वन्य प्राणी को मारने के लिए जहरीली गोली 3 नग एवं कुल्हाड़ी तथा माहूल बेला की डोर जप्त की गई थी जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया गया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह गुलाबसिंह धुर्वे, बीटगार्ड, धीरज, मंगलसिंह, इंदल के साथ कक्ष क्रमांक-188 में गश्त कर रहा था। वहां पर प्यारेलाल, धीरन और बौना मिले। उन्होंने उन लोगो को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से एक व्यक्ति प्यारेलाल पकड़ाया और शेष वहां से भाग गए। आरोपी प्यारेलाल के पास से एक कुल्हाड़ी एवं एक बक्कल की डोर मिली थी। आरोपी ने अपना निवास स्थान अजानपुर बताया था। वे लोग जहां गश्त कर रहे थे, वह स्थान राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। उन लोगो ने गुलाबसिंह धुर्वे के साथ आरोपी प्यारेलाल से पूछताछ की तो उसने बताया कि चीतल, सांभर मारने के लिए उन लोगो ने तीन जगह छापर में जहर की गोलियां रखी है। वे लोग आरोपी प्यारेलाल के साथ उन स्थानों पर गए थे, जहां जहरीली गोली रखी थी। आरोपी ने छापर से जहर की गोलियां निकाली थी जिसे गुलाबसिंह धुर्वे द्वारा जप्त किया गया था। आरोपी से कुल्हाड़ी व बक्कल की डोर भी जप्त की थी। आरोपी प्यारेलाल से पूछताछ करने पर भागने वाले दो अन्य व्यक्तियों के नाम धीरन व बौना बताया था। श्री धुर्वे द्वारा उक्त वस्तुओं को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-1 का पंचनामा श्री धुर्वे द्वारा बनाया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी प्यारेलाल से पूछताछ कर उसके कथन लेखबद्ध किये थे और उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-4 का गिरफ्तारी पंचनामा डिप्टी रेंजर श्री खान ने बनाया था। गश्ती के दौरान उन्होंने तीनों व्यक्तियों को नेशनल पार्क में घूमते हुए देखा था।

13- उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी सेहरा मैदान के किनारे की रोड़ की ओर जाते मिले थे, उस समय आरोपीगण के पास जहर की गोलियां नहीं थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी को सेहरा मैदान में नहीं पकड़ा गया था और उसके पास से कोई कुल्हाड़ी और रस्सी जप्त नहीं की गई थी। इस साक्षी ने स्वतंत्र साक्षी के रूप में मामले की महत्वपूर्ण कार्यवाही के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है, जिसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन न होने से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

14- प्रकरण में प्रस्तुत सभी साक्षीगण ने परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों का समर्थन करते हुए एक मत होकर घटना के समय आरोपी प्यारेलाल को मौके पर कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी व रस्सी सहित पकड़े जाने और पूछताछ कर उसके बताए अनुसार मौके पर से जहर की गोलियां जप्त किये जाने का कथन किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण रूप से यह बचाव लिया गया है कि आरोपी के बताए जाने पर जिन स्थानों से कथित जहर की गोलियां जप्त की गई है, वह खुला स्थान होने के कारण

केवल आरोपी के ही जानकारी के आधार पर कथित बरामदगी की गई हो, यह प्रमाणित नहीं होता। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त बरामदगी वाला स्थान कान्हा नेशनल पार्क का वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ आम जनता का सामान्यतः आवागमन नहीं रहता है। ऐसी दशा में उक्त खुले स्थान को सार्वजनिक स्थान के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। वास्तव में बरामदगी वाले खुले स्थान से आरोपी प्यारेलाल के बताए जाने पर ही कथित गोलियां की जप्ती संदेह से परे प्रमाणित होने से उक्त के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य की उपयोगिता मात्र खुले स्थान से बरामदगी होने के कारण कम नहीं होती है।

15— मामले में जप्ती अधिकारी गुलाबसिंह (अ.सा.6) के द्वारा मौके पर ही अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के समक्ष आरोपी प्यारेलाल को तत्काल ही मौके पर कुल्हाड़ी और रस्सी सहित भागते हुए पकड़े जाने और उसके पूछताछ के आधार पर उसके बताए अनुसार बरामदगी स्थान से गोलियां को जप्त किये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही तथा पश्चात्वर्ती अनुसंधान कार्यवाही का एकमत होकर साक्ष्य में समर्थन किया है, जिसका खण्डन नहीं होने से उनके कथनों पर अविश्वास किये जाने का कारण प्रकट नहीं होता है।

16— प्रकरण में प्रस्तुत राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर की परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.05.1998 प्रदर्श पी-11 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सीलयुक्त डिब्बे में प्राप्त पदार्थ को पोटेशियम साईनाईट के रूप में पाया गया है। इस प्रकार उक्त विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित है कि मामलों में जप्तशुदा गोलियां आरोपी के द्वारा कान्हा नेशनल पार्क में फेंकी गई थी, वह जहर युक्त एवं घातक पदार्थ के रूप में आरोपी के द्वारा उपयोग में लाई गई थी।

17— अभियोजन ने आरोपी प्यारेलाल के अलावा अन्य दो आरोपीगण को मौके पर देखे जाने और पकड़े जाने के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की है। अभियोजन के अनुसार आरोपी प्यारेलाल के द्वारा पूछताछ करने पर मौके से भागने वाले दो अन्य व्यक्तियों के नाम धीरन व बौना बताया था, उक्त आधार पर आरोपी धीरन व बौना को अभियोजित किया जाना प्रकट होता है। यद्यपि आरोपी धीरन और बौना से कथित अपराध के संबंध में पूछताछ किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं होती है। आरोपी प्यारेलाल द्वारा की गई अपराध की संस्वीकृति उसके तथा अन्य आरोपीगण के विरुद्ध उपयोग में लाई जा सकती है, किन्तु सहआरोपीगण के रूप में आरोपी धीरन व बौना के विरुद्ध की गई उक्त संस्वीकृति अस्पष्ट एवं कमजोर प्रकृति की साक्ष्य होने तथा अन्य सबूत उपलब्ध न होने से उसका मामले में अधिक महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार आरोपीगण धीरन व बौना के द्वारा आरोपी प्यारेलाल को कथित अपराध में सहयोग प्रदान किये जाने या संलिप्त होने का तथ्य प्रकट नहीं होने से तथा उनके विरुद्ध कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव होने से आरोपी धीरन व बौना को आरोपित अपराध हेतु दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

18— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी प्यारेलाल ने कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित सूपखार क्षेत्र में अवैध प्रवेश करने और मौके पर उसके कब्जे से कुल्हाड़ी और रस्सी जप्त किये जाने से ही यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि उसके द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत बिना अनुज्ञा के कान्हा नेशनल पार्क में प्रवेश कर अपराध किया है। उक्त के अलावा यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि आरोपी प्यारेलाल ने मौके पर जहरीली गोलियों को घातक पदार्थ के रूप में उपयोग कर वन्य प्राणी को नुकसान पहुंचाने के आशय से फेंका था। इस प्रकार आरोपी प्यारेलाल के द्वारा अधिनियम की धारा 32 का भी अपराध किया जाना प्रमाणित है।

19— उक्त सभी कारण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने आरोपी धीरन एवं बौना के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित नहीं किया है, किन्तु अभियोजन ने आरोपी प्यारेलाल के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि उसने दिनांक—18.01.1998 वन कक्ष क्रमांक—188 सेहरा मैदान सूपखार, परिक्षेत्र कान्हा नेशनल पार्क में बिना अनुज्ञा के प्रवेश किया तथा वन्य प्राणी को आघात पहुंचाने एवं खतरे में डालने के आशय से घातक पदार्थ के रूप में जहर की गोलियां रखा। अतएव आरोपी धीरन एवं बौना को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 32 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है तथा आरोपी प्यारेलाल को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 32 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

20— आरोपी प्यारेलाल को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

21— आरोपी प्यारेलाल व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी प्यारेलाल की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वह वर्ष 1998 से विचारण का सामना कर रहा है, तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। अतः उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।

22— प्रकरण में आरोपी प्यारेलाल मामले में वर्ष 1998 से विचारण कर रहा है तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आरोपी प्यारेलाल ने कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर वन्य प्राणी को आघात पहुंचाने या खतरे में डालने हेतु घातक पदार्थ का उपयोग किया है। विधायिका द्वारा ऐसे मामले की गंभीरता



को देखते हुए अधिनियम की धारा 51 की उपधारा 1 (सी) के रूप में वर्ष 2006 में संशोधन कर अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। यद्यपि आरोपी प्यारेलाल ने उक्त अपराध संशोधित अधिनियम लागू होने के पूर्व किया होने से अधिनियम में तत्समय लागू दण्ड से ही आरोपी को दंडित किया जा सकता है। अतएव उक्त संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति को देखते हुए आरोपी प्यारेलाल को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 32 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 2,000/- रुपये (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उसे दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

23— मामले में आरोपी प्यारेलाल दिनांक-19.01.98 से दिनांक-24.02.98 एवं दिनांक 11.10.13 से 23.10.13 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। आरोपी धीरन दिनांक 21.06.14 से दिनांक 23.06.14 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। आरोपी बौना उर्फ ब्रजलाल दिनांक 15.12.2001 से दिनांक 02.03.2002 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

24— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कुल्हाड़ी, एक माहूल की रस्सी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रालिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)